

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,द्वितीय,सह विशेष न्यायाधीश,उत्पाद,समस्तीपुर।

कल्याणपुर थाना काण्ड सं० 294 / 19,कम्प्यूटर निबंधन सं० 1249 / 19

24.10.19

आवेदक 1. विशुन सहनी, जो कल्याणपुर थाना काण्ड सं० 294 / 19, धारा-30(a), 41(i)(ii) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि० 2016 के अन्तर्गत दि० 20.10.19 से काराधीन है, की ओर से पूर्व दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान वि० लोक अभि० को दी जा चुकी है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सिंह जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किये कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसके विरुद्ध लगाया गया आरोप मनगढ़ंत, असत्य एवं निराधार है। उसे मात्र ग्रामीण राजनीति एवं दुश्मनी के कारण इस वाद में फँसा दिया गया है। उसके पास से कोई शराब बरामद नहीं किया गया है। तथाकथित बरामद शराब से उसका कोई संबंध नहीं है। आरोपित धाराएँ उसके विरुद्ध नहीं बनती है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दि० 20.10.19 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि० लोक अभियोजक श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध धारा-30(a), 41(i)(ii) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि० 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक द्वारा गश्ती के क्रम में आवेदक अभियुक्त को घटनास्थल पर 750 एम०एल० के एक बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। आवेदक दि० 20.10.19 से काराधीन है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में अपराध की प्रकृति, बरामद शराब की मात्रा एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त को मो० दस हजार रु० के बंध-पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। एक जमानतदार अभियुक्त का निकटतम संबंधी होगा। आवेदक अभियुक्त इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह वाद के निस्तारण तक प्रत्येक निश्चित तिथि को सदेह उपस्थित रहेगा।

लेखापित

अपर सत्र न्या०-2

सह वि० न्या०उत्पाद